न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश चन्द्र चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 02/2017

अनवानः– राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ।।

प्रार्थी

बनाम

श्री प्रताप सिंह पुत्र सादुला सिंह जाति जाति जाट सा. वार्ड नं0 11 धौलीपाल।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट बाबत डीजल/पेट्रोल के निस्तारण

उपस्थितः– 1 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–29.01.2018

राजस्थान राज्य जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वृताधिकारी हनुमानगढ ने मुताबिक ईतला श्रीमति ममता सारस्वत प्रशिक्षु थाना सदर हनुमानगढ के मौजा धौलीपाल पहुंच श्रीमति ममता सारस्वत मय मुलाजिमान को हमराह लेकर मुल्जिम प्रताप सिंह के अन्दर एक नीले रंग का ड्रम जिस पर हैंण्ड पम्प जैसा उपकरण लगा हुआ है। एक प्लास्टिक जरिकन 50 लीटर क्षमता का व तीन प्लास्टिक बोतलों प्रत्येक 2 लीटर क्षमता की व तीन प्लास्टिक बोतलें आधा आधा लीटर क्षमता की चार प्लस्टिक बोतलें एक एक लीटर क्षमता की तरल पदार्थ भरा मिला व पास मे ही एक एक प्लास्टिक की कीप, एक लोहे की कीप जिस पर छलनी बंधी हुई व दस लीटर, पांच लीटर व एक लीटर का एक एक नाप पड़े मिले। ड्रम, जरिकन व प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोलव डीजल व पेट्रोल डीजल की बिक्री के हिसाब किताब की डायरी मिले इस प्रकार प्रताप सिंह का बिना लाईसेंस परमिट, प्रमिशन के विक्रय के उद्देश्य से डीजल व पेट्रोल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 की हद को पहुंचने पर उक्त डीजल भरे ड्रम व पेट्रोल भरी बोतलों व जरिकेन को कब्जे पुलिस लिया जाकर कुल 44 लीटर डीजल व आठ लीटर पेट्रोल होना पाया गया। इसके अलावा दुकान में रखे हुए उक्त डीजल पेट्रोल बेचने के हिसाब किताब की कुल 9 डायरियां, दस लीटर, पांच लीटर, एक लीटर के एक एक नाप , एक प्लास्टिक कीप, एक लोहे की कीप , एक प्लास्टिक पाईप , ड्रम पर लगे डीजल निकालने के हैण्ड पम्प को पेट्रोल डीजल बेचान के सहायक उपकरण होने से बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। फर्द मु0नं0175/2017 धारा 3/7 ई0सी0एक्ट में दर्ज किया गया। जब्त शुद्धा डीजल पेट्रोल का नियमानुसार निस्तारण करने के निवेदन किया गया।

उक्त प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । जिसमें दिनांक 17.07.17 को जब्त शुद्धा डीजल,पेट्रोल व अन्य वस्तओं का नियमानुसार निस्तारण करने व राशि राजकोश में जमा कराने हेतु जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेशित किया गया ।

अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी को जारी नोटिस की तामील उसके स्वयं होने के उपरान्त भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 03.01.18 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

राजकीय अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । राजकीय अभिभाशक ने बहस में बताया कि राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थी का यह कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जब्त शुद्धा डीजल व अन्य उपकरणों की राशि जो पूर्व से जिला रसद अधिकारी द्वारा राजकोश में जमा करवा दी गयी है उसे राजसात करने के आदेश दिये जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का न्यायालय में उपस्थित नहीं आना इस तथ्य को दर्शाता है कि उसके द्वारा किये गये डीजल/पेट्रोल की अबैध बिक्री की गयी है। जिसका उसके पास जब्ती के समय कोई अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया । जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार बिना लाईसेंस/परमिट के डीजल बेचने का कार्य नहीं किया जा सकता । इसलिए जब्त शुद्धा डीजल राजसात किया जाना उचित है।

अतः अप्रार्थी से जब्त शुद्धा 44 लीटर डीजल, 8 लीटर पेट्रोल व जब्त शुद्धा दस लीटर, पांच लीटर, एक लीटर के एक एक नाप , एक प्लास्टिक कीप, एक लोहे की कीप , एक प्लास्टिक पाईप , ड्रम पर लगे डीजल निकालने के हैण्ड पम्प उपकरणों को अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किया जाता है। डीजल/पेट्रोल व अन्य उपकरण अभी तक थाना सदर हनुमानगढ में ही हैं। उक्त जब्त शुद्धा डीजल, पेट्रोल व अन्य उपकरणों को थाना सदर हनुमानगढ से प्राप्त कर इनका नियमानुसार निस्तारण कर राशि जमा कराने के आदेश जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ व थानाधिकारी पुलिस थाना सदर हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेशित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़